

आर ई सी लिमिटेड

(Formerly Rural Electrification Corporation Limited)

(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालयः Core-4,SCOPE Complex,7,Lodhi Road, New Delhi-110003,India

कॉर्पोरेट ऑफिस: प्लॉट नं. 1-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम (हरियाणा) -122001

Website: www.recindia.com/

CIN: L40101DL1969GOI005095 | GSTIN: 07AAACR4512R1Z3

दिनांक: 16 अगस्त, 2022

परिपत्र Circular: मानव संसाधन 49/2022

विषय: निगम के सीधे भुगतान स्कीम के तहत मेदान्ता अस्पताल, लखनऊ का पुन: इम्पैनलमेन्ट के संबंध में।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निगम के सभी कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए निम्नलिखित अस्पताल को पुन: इंडोर चिकित्सा उपचार के लिए इस परिपत्र के जारी होंने की तिथि से सीधे भुगतान हेतू स्कीम के अन्तर्गत, पुन: इम्पैनल कर दिया गया है।

The Competent Authority has approved empanelment of the following Hospital for obtaining Indoor medical treatment by the all employees/ex-employees and their dependent family members, with the Corporation under "Direct Payment" Scheme w.e.f. date of issue of this circular:-

क्र.सं.	अस्पताल का नाम एवं पता	किस बीमारी के	टिप्पणी Remarks(Tariff)
S.NO	Name and address of the hospital	लिए है	,
		Type of	
		treatment	
1	2	3	4
1.	M/s मेदान्ता अस्पताल लखनऊ(owned by and operated by M/s Medanta Holdings Private Limited), Sector A, Pocket-1, Sushant Golf City, Amar Shahid Path, Lucknow.	सामान्य बिमारियां General Disease	Rates will be paid as per schedule of charges of M/s Medanta Hospital. Lucknow. subject to entitlement of employee. Discount offered (1) OPD: 15% on Preventive Health Check-up. 10% on OPD Consultations. Laboratory & Radiology Tests on Medanta Prevailing Tariff and (2) All IPD admission 10% on Room Rent. Lab & radiological Investigation. Tariff. Exclusions: Package based OPD treatments(i.g. Mental health), Physio & Dietician. No discount on Outsourced Investigations All day care procedures Drugs, Disposables. Consumables. Blood Components. Implants. Devices, etc. No discount on any component of any predefined packages. No discount on CT. PET-CT, and MRI. (Exclusions: Drugs. Disposables, consumables, Blood Components, Implants, Devices, etc. All day care procedures like Dialysis and Radiotherapy. No discount on any component of any predefined packages. No discount on ICU/HDU room rent. Outsourced Investigations. Anaesthesia charges/surgeon fee/doctor visit. CT, PET-CT and MRI.

सभी कर्मचारी/पूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्य जो आरईसी विकित्सा उपस्थिति नियमों के अन्तर्गत आते हैं। उपर्युक्त अस्पताल में भर्ती होकर इंडोर उपचार करा सकते हैं जिसके बिलों का भुगतान निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के द्वारा सीधे अस्पताल को किया जायेगा। इस कार्यालय के कार्यालय आदेश भाग-3 संख्या 64 दिनांक 08.10.2012 की शर्तों में कोई बदलाव नहीं है।

The employees/ex-employees and their dependent family members who are covered under REC Medical Attendance Rules may avail indoor medical treatment available in the said Hospital. The payment will be made direct to the Hospital by the Regional Office, Lucknow for indoor medical treatment only. The other terms and conditions as laid down in the Office Order Part III No.64 dated 08.10.2012 on the subject remain unchanged.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेदान्ता अस्पताल को दिनांक 31.12.2022 तक पैनल में रखा गया है क्योंकि मेदान्ता अस्पताल का प्रोविजनल पंजीकरण-पत्र दिनांक 13.4.2022 से एक वर्ष के लिए प्रदान किया गया है, और आयकर छुट प्रमाण-पत्र की वैधता 31.12.2022 तक है। इसलिए इस अस्पताल का पुन: इम्पैनलमेंट तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.12.2022 तक मौजूदा शर्तों पर स्वीकृति प्रदान की गई है । उसके बाद के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर इसका आगे नवीनीकरण किया जाएगा । अन्यथा इस अस्पताल की मान्यता 31.12.2022 तक ही रहेगी ।

यह कार्यकारी निदेशक (मा.सं.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(चरणजीत) सहायक अधिकारी (मा.सं)

संख्या: ४/४/९६-मा.सं./1125

1.अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त)/ निदेशक (तकनीकी)/मुख्य सतर्कता अधिकारी के सचिवालय, आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय,

2. सभी कार्यकारी निदेशक/कंपनी सचिव, आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।

4. सभी वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक/सभी मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक, आरईसी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय/राज्य कार्यालय/अपर निदेशक, आरईसीआईपीएमटी हैदराबाद।

5. सभी वरिष्ठ महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।

6. वरिष्ठ महाप्रबंधक(आईटी) को इस अनुरोध के साथ कृपया इसे इंट्रानेट एवं कर्मचारी पोर्टल पर डलवाने की ब्यवस्था करवायें।

मुख्य प्रबंधक(वित्त-चिकित्सा), आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।

8. महासचिव, आरईसी,अधिकारी एसोशिएशन, आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।

9. महासचिव, आरईसी, कर्मचारी यूनियन, आरईसी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, गुरुग्राम।

- ्र. महासाजन, आर्यसा, नराजार चानन, आर्यसा सान्छ, नुष्ज नराजारान, पुरशामा 10.जनर्व सेक्रेट्री(ओर्गनाई.) आरईसी के भूतपूर्व कर्मचारियों के वेलफेयर एसोशिएशन, W-99, चंद्रशेखर आज़ाद गली, बाबरपुर, शाहदरा दिल्ली-110032
- 11. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड ।